



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032020-218635
CG-DL-E-13032020-218635

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 943]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2020/फाल्गुन 22, 1941

No. 943]

NEW DELHI, THURSDAY MARCH 12, 2020/PHALGUNA 22, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

का.आ. 1049(अ).—केंद्रीय सरकार, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एस.जे. मुखोपाध्याय का राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के अध्यक्ष के रूप में 14.03.2020 को कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री बंसीलाल भट, सदस्य (न्यायिक), एनसीएलएटी को अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2020 के नियम 10(1) के अनुसार 15.03.2020 से तीन माह की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष नियुक्त होने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-12023/4/2019-प्रशा.IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2020

S.O. 1049(E).—Consequent on the completion of the term of Office of Justice (Retd.) Shri S.J. Mukhopadhaya, as Chairperson, National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) on 14.03.2020, Central Government hereby appoints, Justice (Retd.) Shri Bansi Lal Bhat, Member (Judicial), NCLAT, as officiating Chairperson in terms of Rule 10(1) of the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020 for a period of three months with effect from 15.03.2020 or until a regular Chairperson is appointed or until further orders, whichever is earliest.

[F. No. A-12023/4/2019-Ad.-IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.